Pushpa Bhawan

F. No. 9/3/2011-CRD (NPR)
2A, Man Singh Road, New Delhi
(NPR Division)

Dated: - 07.06.2011

Subject:- Rules under Section 6A of the Information Technology (Amendment) Act,2008-No. GSR 316(E) dated 11.04.2011 regarding "The Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2011 – reg.

I am directed to enclose herewith copy of O.M. No. 9(16)/2004-EC (Part) dated 12.05.2011 received from Department of Information and Technology along with a copy of the "Notification No. GSR 316(E) dated 11.4.11 on subject matter for information and further action as appropriate.

Encl: As above.

7/6/11

(Dheeraj Jain)
DD (NPR)

To:-

1. JRG (I)
2. All Head of Divisions of ORGI at 2A, Man Singh Road, West Block-I Sewa Bhawan RK Puram & Pushpa Bhawan.

Copy to:-

1. PS to RG & CC, I
2. PS to Addl RGI
3. PS to JRG (I)
4. PS to DDG (NPR)
5. PS to DDG (Printing)

901/DDG/PS
08.6.11

1256/JD(MST)/2011
8/6/2011

Please publish on web and also print up in proof file.

8/6/11

Scan & send by email to all officers of DDG. Keep in relevant folder.

9/6/11

DEO(APS)

DD (SSI)
DD (Communication)

SL.No. 106(R)

198

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Website: www.mit.gov.in

संख्या
No.....

9(16)/2004-EC (Part)

दिनांक
Date.....

12-05-2011

Office Memorandum

Subject: **Rules under Section 6 A of the Information Technology (Amendment) Act, 2008 – Notification No. GSR 316(E) dated 11-04-2011 regarding 'The Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2011 reg.**

The Information Technology (Amendment) Act, 2008 empowers the Central Government to frame rules for different provisions of the Act under Section 6A of the Amendment Act. The rules have accordingly been notified and published. In this regard, the undersigned is directed to send herewith a copy of the "**Notification No. GSR 316(E) dated 11-04-2011 regarding 'The Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2011**" for information and necessary action.

2. However, the relevant rules are also hosted on the Department's website i.e. www.mit.gov.in under the link Cyber Laws.

12.5.11

(Abhishek Singh)
Director
Tel No. 24364720
Tel No. 24301216

VPR/783
25/5

Encl: As above

To:

All Mission Leaders and All Secretaries (IT) of States (as per list enclosed)

DR. C. Chandramouli
Registrar General of India
2A, Mansingh Road
New Delhi
Ph. No. 23383761
Fax No. 23383145
rgi.rgi@nic.in

24/5

DD/DY Division

Pl. circulate to all

24/5

R Rawat

327/11-RGI 23/5/11
DDG (NPR)
1103/DDG(NPR) 24/5

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6,सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय इ-गवर्नेंस योजना
National e-Governance Plan

Public services closer home

ELECTRONICS NIKETAN
6, C.G.O. COMPLEX
NEW DELHI-110003

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2011/चैत्र 23, 1933

No. 203] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2011/CHAITRA 23, 1933

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 313(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 43क के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (णख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "जैवमिती" से ऐसी प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है जो अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए "उंगलियों के निशान", "आँख का रेटिना और पुतली", "ध्वनि के पैटर्न", "मुख के पैटर्न", "हाथ का मापमान" और "डीएनए", जैसी मानव शरीर की विशिष्टियों का माप लेती हैं और विश्लेषण करती हैं;

(ग) "निगमित निकाय" से अधिनियम की धारा 43क के स्पष्टीकरण के खंड (i) में यथा परिभाषित निगमित निकाय अभिप्रेत है;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 316(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (गक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित, नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत अभिकर्ता" से समुचित सरकार का या सेवा प्रदाता का कोई अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रानिकी समर्थ क्योस्क का प्रचालक भी है जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इन नियमों के अधीन उपयोक्ताओं को कंपयूटर संसाधनों या किसी संचार युक्ति की सहायता से लोक सेवा प्रदान करने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(घ) "प्रमाण पत्र" से इस अधिनियम, नियम, विनियम या समुचित सरकार के आदेश से सशक्त कानूनी प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति प्रकृत या कृत्रिम की प्रस्थिति, अधिकार या दायित्व की संपुष्टि करने के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी रूप में मुद्रित और समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में परिदान प्रमाण पत्र भी है;

(ङ) "प्रमाणन प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथापरिभाषित प्रमाणन प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "संचार युक्ति" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जक) में यथापरिभाषित संचार युक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "कंप्यूटर संसाधन " से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में यथापरिभाषित कंप्यूटर संसाधन अभिप्रेत है;

(ज) "इलेक्ट्रानिकी समर्थ क्योस्क" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढक) में यथापरिभाषित साइबर कैफे अभिप्रेत है;

(झ) "इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान " से प्ररूपों और आवेदनों की पावती दाखिल करना, किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण पत्र, मंजूरी या अनुमोदन को जारी करना और नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रानिकी माध्यम द्वारा धन की प्राप्ति या संदाय अभिप्रेत है;

(ञ) "इलेक्ट्रानिकी हस्ताक्षर" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (नक) में यथापरिभाषित इलोक्ट्रॉनिकी हस्ताक्षर अभिप्रेत है;

(ट) " इलेक्ट्रानिकी हस्ताक्षर प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (नख) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिकी हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ठ) " इलेक्ट्रानिकी रूप में हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों का संग्रह " से इन नियमों के अनुसरण में इलेक्ट्रानिकी रूप में हस्ताक्षरित, भंडारित और प्रबंध किए जा रहे सभी अभिलेखों का संग्रह अभिप्रेत है;

(ड) "सेवा प्रदाता" से अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट सेवा प्रदाता अभिप्रेत है;

(ढ) "हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी" से किसी अधिनियम, नियमों, विनियमों या प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समुचित सरकार के आदेश के अधीन सशक्त कोई हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

३ **इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान प्रणाली-**

(1) समुचित सरकार स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी रूप से समर्थ क्योस्क के या किसी अन्य इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान तंत्र के माध्यम से लोक सेवा प्रदान कर सकती है।

(2) समुचित सरकार या उसके अभिकरण इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान का प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(3) समुचित सरकार गोपनीयता की अपेक्षा रखने वाले संवेदनशील इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों को उनके इलेक्ट्रानिकी रुप में हस्ताक्षर करने के दौरान कूट करने की रीति विहित कर सकेगी।

(4) समुचित सरकार इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं और उनके अभिकर्ताओं को अधिसूचित करेगी।

(5) समुचित सरकार इलेक्ट्रॉनिकी सेवा परिदान प्रणाली को अंगीकार करके किए गए संदायों की पावती को ऐसी सरकार की वितीय संहिता और खजाना संहिता के अनुपालन में किए गए संदायों की

पावती अनुज्ञात कर सकती है।

(6) समुचित सरकार सेवा प्रदाताओं और उनके अभिकर्ताओं को उस व्यक्ति से जो ऐसी सेवा का उपयोग रहा है को ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सेवा प्रभारों का संग्रहण करने के लिए, रखने के लिए और उपायोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

परंतु यह कि उपायोजित सेवा प्रभारों को सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को दी जानो वाली पावती पर स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा।

(7) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा सेवा प्रदाताओं और उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रभारित और संग्रहित किए जाने वाले सेवा प्रभारों की दर को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी।

(8) समुचित सरकार सेवा प्रदाताओं और उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा सेवा स्तर के मानकों को भी विनिर्धारित कर सकेगी।

4. इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान की अधिसूचना-

(1) समुचित सरकार उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जो समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी रूप में परिदत्त की जानी हैं।

(2) समुचित सरकार समय-समय पर अनुज्ञप्तिधारियों, परमिटों, प्रमाणपत्रों, मंजूरियों, संदाय पावती अनुमोदनों के विभिन्न वर्गों के संबंध में उनकी संबंधित अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची की पहचान और उसे अधिसूचित कर सकेगी।

(3) अधिसूचना प्रमाणपत्र की प्रकृति, समुचित सरकार द्वारा यथा अनुमोदित हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों के नाम, प्राधिकारिता के प्रभावी रहने की अवधि और उनकी अधिकारिता की सीमा को विनिर्दिष्ट करेगी।

(4) समुचित सरकार समय-समय पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की हैसियत रखने वाले कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों पर विचार करते हुए परिवर्तनों को अधिसूचित कर सकेगी।

5. इलेक्ट्रानिकी रूप में हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के संग्रह का सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सृजन-

(1) सभी प्राधिकारी जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से कोई अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाणपत्र, स्वीकृति या अनुमोदन जारी करते हैं यथास्थिति इलेक्ट्रानिकी रूप में हस्ताक्षरित ऐसी अनुज्ञप्तियों, परमिटों, प्रमाणपत्रों, स्वीकृतियों या अनुमोदनों के इन व्यष्टिक अभिलेखों के सृजन के समय को दर्शित करते हुए उनका एक आन लाइन संग्रह तैयार करेंगे, अभिलेखागार बनाएंगे और उसका अनुरक्षण करेंगे।

(2) समुचित सरकार उपनियम (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिकी रूप में हस्ताक्षरित संग्रह तैयार करने, प्रतिष्ठापित करने, अभिलेखागार बनाने और उसका अनुरक्षण करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) प्राधिकारी इलेक्ट्रानिकी रूप में ऐसी अनुज्ञप्तियों, परमिटों, प्रमाणपत्रों, स्वीकृतियों या अनुमोदनों के प्रत्येक अभिलेख पर या समग्र पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हस्ताक्षर कर सकेंगे और उनका आन लाइन

प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) समुचित सरकार इलेक्ट्रानिकी डाटा, सूचना, आवेदन, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों और उनके क्रमशः नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी आस्तियों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगी और सुरक्षा प्रक्रिया का अनुपालन विभागाध्यक्ष और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा प्रक्रिया में गूढ़ालेखी कुंजियों के भंडारण और अनुरक्षण की अपेक्षाओं, ब्राउज़रों पर प्रमाणपत्र डाउनलोड करने पर निर्बधन और प्रमाणन प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना भी है।

6. इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के संग्रह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया

(1) समुचित सरकार या स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार से आवेदन अभिप्राप्त होने पर इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के संग्रह में परिवर्तन करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए समुचित परिवर्तन कर सकेगी या करने का आदेश कर सकेगी।

(2) इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के किसी संग्रह के किसी अभिलेख में किया गया कोई परिवर्तन और ऐसे संग्रह से किसी अभिलेख का वर्धन या लोप उस व्यक्ति द्वारा मूल सृजन के समय और उपांतरणों के समय की मोहर के साथ जो ऐसा परिवर्तन करने के लिए सक्षम है, इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) समुचित सरकार इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के संग्रह से किसी अभिलेख का लोप करने की घटना को इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षर करने की रीति को विहित कर सकेगी।

(4) समुचित सरकार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अभिलेखों के संग्रह के सुरक्षित एक्सेस की रीति के उपबंध को भी विनिर्धारित कर सकेगी।

(5) समुचित सरकार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के संग्रह का अनुरक्षण करने के लिए प्रभारों की लेखा परीक्षा की अपेक्षाओं को भी विनिर्धारित कर सकेगी।

7. सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ता का वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन का दायित्व

समुचित सरकार प्रत्येक सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ता को सभी संव्यवहारों, पावतियों, वाउचरों का अद्यतन और शुध्द लेखा रखने के लिए तथा परिदत्त इलेक्ट्रानिकी सेवा के संबंध में संव्यवहारों और संदाय की पावतियों के लेखे का अनुरक्षण करने के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए निदेश दे सकेगी और उक्त अभिलेखों को निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अभिकरण या व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

8. सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सूचना प्रणाली और खातों की लेखा परीक्षा

(1) समुचित सरकार राज्य में सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ताओं के कार्यकलापों की ऐसे अंतरालों पर, जो वह उचित समझे, नामनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा अभिकरणों द्वारा लेखा परीक्षा का संचालन कारित करेगी।

(2) लेखा परीक्षा में सुरक्षा , गोपनीयता और सूचना की एकांतता और इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान में किसी सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग का कार्य निष्पादन और सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा रखे गए लेखों की शुध्दता जैसे पहलू होंगे।

(3) आडिट अभिकरणों द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए और लेखा परीक्षा अभिकरणों द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करने के लिए लेखा परीक्षा अभिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा अभिकरणो को सूचना और सहायता उपलब्ध कराएंगे।

(4) सभी सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकर्ता प्रत्येक व्यष्टिक अंतरण और नागरिक के डाटा के संरक्षण के लिए सम्यक घोषणा प्रस्तुत करेंगे और व्यष्टिक या समुचित सरकार में से किसी एक की लिखित सहमति के बिना किसी को आप्राधिकृत प्रकटन ऐसे सेवाप्रदाता को आगे ऐसी और सेवा प्रदान करने से रोक देगा और ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 45 के उपबंध लागू होंगे।

9. **इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान में विशेष लेखन सामग्री का उपयोग** - समुचित सरकार इलेक्ट्रानिकी सेवा परिदान के भाग के रूप में प्ररूपों, आवेदन, अनुज्ञप्ति,परमिट, प्रमाण पत्र, भुगतान की पावती तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों के लिए सुरक्षा अभिलक्ष णों से युक्त विभिन्न प्रकार की विशेष लेखन सामग्री विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

[फा. सं. 11(3)/2011-सीएलएफई]

शंकर अग्रवाल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2011

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (2) of section 87, read with sub-section (2) of section 6A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2011.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 (a) "**Act**" means the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(b) **"appropriate Government"** means the Central Government or the State Government or an Union Territory Administration;

(c) **"authorised agent"** means an agent of the appropriate Government or service provider and includes an operator of an electronically enabled kiosk who is permitted under these rules to deliver public services to the users with the help of a computer resource or any communication device, by following the procedure specified in the rules;

(d) **"certificate"** means a certificate required to be issued by a statutory authority empowered under any Act, rule, regulation or Order of the appropriate Government to issue a certificate to confirm the status, right or responsibility of a person, either natural or artificial, and includes a certificate in electronic form printed and delivered in such form as may be specified by the appropriate authority;

(e) **"Certifying Authority"** means certifying authority as defined in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(f) **"communication device"** means the communication device as defined in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(g) **"computer resource"** means the computer resource as defined in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(h) **"Electronically enabled kiosk"** means the cyber cafe as defined in clause (na) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(i) **"Electronic Service Delivery"** means the delivery of public services in the form of filing receipt of forms and applications, issue or grant of any license, permit, certificate, sanction or approval and the receipt or payment of money by electronic means by following the procedure specified under rule 3;

(j) **"electronic signature"** means the electronic signature as defined in clause (ta) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(k) **"Electronic Signature Certificate"** means the electronic signature certificate as defined in clause (tb) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(l) "**Repository of Electronically Signed Electronic Records**" means a collection of all electronically signed electronic records, stored and managed in accordance with these rules;

(m)"**service provider**" means a service provider as referred to in Explanation to sub-section (1) of section 6A of the Act;

(n) "**signing authority** " means an authority empowered under any Act, rules, regulations or Order of the appropriate Government to issue a certificate.

3. System of Electronic Service Delivery.-

(1) The appropriate Government may on its own or through an agency authorised by it, deliver public services through electronically enabled kiosks or any other electronic service delivery mechanism.

(2) The appropriate Government or its agencies may specify the form and the manner of Electronic Service Delivery.

(3) The appropriate Government may determine the manner of encrypting sensitive electronic records requiring confidentiality, while they are electronically signed.

(4) The appropriate Government shall notify the service providers and their agents authorised for Electronic Service Delivery.

(5) The appropriate Government may allow receipt of payments made by adopting the Electronic Service Delivery System to be a deemed receipt of payment effected in compliance with the financial code and treasury code of such Government.

(6) The appropriate Government may authorise service providers or their authorised agents to collect, retain and appropriate such service charges as may be specified by the appropriate Government for the purpose of providing such services from the person availing such services:

Provided that the apportioned service charges shall be clearly indicated on the receipt to be given to the person availing the services.

(7) The appropriate Government shall by notification specify the scale of service charges which may be charged and collected by the service providers and their authorised agents for various kinds of services.

(8) The appropriate Government may also determine the norms on service levels to be complied with by the Service Provider and the authorised agents.

4. Notification of Electronic Service Delivery.-

(1) The appropriate Government may notify the services that shall be delivered electronically from time to time.

(2) The appropriate Government may identify and notify, from time to time, the list or signing authorities in respect of different classes of licenses, permits, certificates, sanctions, payment receipt approvals and local limits of their respective jurisdictions.

(3) The notification shall specify the nature of certificate, the names of the signing authorities, as approved by the appropriate Government, the period of effectiveness of the authority and the extent of their jurisdiction.

(4) The appropriate Government may notify changes to the list of signing authorities from time to time, taking into consideration the terms and conditions of the services of employees holding positions of signing authorities.

5. Creation of repository of electronically signed electronic records by Government Authorities.-

(1) All authorities that issue any license, permit, certificate, sanction or approval electronically, shall create, archive and maintain a repository of electronically signed electronic records of such licenses, permits, certificates, sanctions or approvals, as the case may be, online with due timestamps of creation of these individual electronic records.

(2) The appropriate Government may specify the manner of creating, establishing, archiving and maintaining the repository of electronically signed electronic records referred to in sub-rule (1).

(3) The authorities may electronically sign the electronic records of such licenses, permits, certificates, sanctions or approvals for each record or as a whole for a specific duration and shall be responsible in administering them online.

(4) The appropriate Government may specify the security procedures in respect of the electronic data, information, applications, repository of digitally signed electronic records and information technology assets under their respective control and that security procedures shall be followed by the Head of the Department and the signing authorities.

Explanation.- The expression "security procedures" referred to in sub-rule (4) shall include requirements for the storage and management of

cryptographic keys, restrictions for downloading the certificates on to browsers, and of complying with the requirements of certifying authorities.

6. **Procedure for making changes in a repository of electronically signed electronic records.-**

(1) The appropriate Government may either suo moto or after receiving an application from an interested party, make or order to make an appropriate change in a repository of electronically signed electronic records along with recording the reasons for making such a change.

(2) Any change effected to any record in a repository of electronically signed electronic records and any addition or deletion of a record from such repository shall be electronically signed by the person who is authorised to make such changes along with the time stamps of original creation and modification times.

(3) The appropriate Government may determine the manner of electronically signing the event of deletion of a record from the repository of electronically signed electronic records.

(4) The appropriate Government may also determine the manner of provisioning secure access to the repository of digitally signed electronic records.

(5) The appropriate Government may also determine the requirements for maintaining audit trails of all changes made to repository of digitally signed electronic records.

7. **Responsibility of service provider and authorised agents for financial management and accounting.-** The appropriate Government may direct every service provider and authorised agent to keep an updated and accurate account of the transactions, receipts, vouchers and specify the formats for maintaining accounts of transactions and receipt of payment in respect of the electronic services delivered and the said records shall be produced for inspection and audit before an agency or person nominated by the appropriate Government.

8. **Audit of the Information System and Accounts of service provider and authorised agents.-**

(1) The appropriate Government may cause an audit to be conducted of the affairs of the service providers and authorised agents in the State at such intervals as deemed necessary by nominating such audit agencies.

(2) The audit may cover aspects such as the security, confidentiality and the privacy of information, the functionality and performance of any software application used in the electronic service delivery and the accuracy of accounts kept by the service providers and authorised agents.

(3) The service providers and the authorised agents shall provide such information and assistance to the audit agencies nominated by the appropriate authority, to comply with the directions given by the audit agencies and to rectify the defects and deficiencies pointed out by the audit agencies within the time limit specified by the audit agency.

(4) All service providers and the authorised agents shall submit a due declaration for protecting the data of every individual transaction and citizen and any unauthorised disclosure to anyone without the written consent of either the individual or the appropriate Government shall be debarred from providing such a service any further and the provisions of section 45 of the Act shall be applicable in such cases.

9. **Use of special stationery in electronic service delivery.-** The appropriate Government may specify different types of special stationery, with accompanying security features for forms, applications, licenses, permits, certificates, receipts of payment and such other documents as part of Electronic Service Delivery.

[F. No. 11(3)/2011-CLFE]
SHANKAR AGGARWAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.